रजिस्ट्री सं. डी. एल.—33001/99 REGISTERED NO. D. L.—33001/

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 35] नई दिल्ली, शनिवार, अगस्त 26, 2000/भाद्र 4, 1922
No. 35] NEW DELHI, SATURDAY, AUGUST 26, 2000/BHADRA 4, 1922

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Seperate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालयों को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकारियों (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा विधि के अंतर्गत बनाए और जारी किए गए साधारण सांविधिक नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उप-नियम आदि सम्मिलित हैं)

General Statutory Rules (Including Orders, Bye-laws etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

वित्त मंत्रालय
(व्यय विभाग)

नई दिल्ली, 10 अगस्त, 2000

सा. का. नि. 328—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 148 के खंड (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के परामर्श करने के पश्चात् भारतीय लेखापरीक्षक और लेखा विभाग के क्षेत्रीय कार्यालयों में कनिष्ठ अनुवादक के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ :—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारतीय लेखापरीक्षक और लेखा विभाग (कनिष्ठ अनुवादक) भर्ती नियम, 1999 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान :—उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उसका वेतनमान वही होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ (2) से स्तम्भ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

2229 GI/2000—1

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ (5) से स्तम्भ (14) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हता :—वह व्यक्ति :—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति :—जहां भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृत्ति :—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका भारतीय लेखापरीक्षा और लेखा विभाग में नियोजित व्यक्तियों को यथा लागू भारत सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	चयन-सह-ज्येष्ठता या योग्यता के आधार पर चयन अथवा अचयन पद	सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायदा केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अधीन अनुज्ञेय है या नहीं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. कनिष्ठ अनुवादक	103* (1999) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह "ग", अनुसचिवीय (राजपत्रित)	4500-125-7000 रु.	अचयन	लागू नहीं होता	30 वर्ष

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो
(8)	(9)	(10)
किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से अंग्रेजी/हिन्दी में मास्टर डिग्री, जिसमें डिग्री स्तर पर हिन्दी/अंग्रेजी अनिवार्य और वैकल्पिक विषय रहे हों। या हिन्दी और अंग्रेजी मुख्य विषय (जिसके अन्तर्गत अनिवार्य और वैकल्पिक पद भी आते हैं) के साथ बैचेलर डिग्री।	लागू नहीं होता	सीधे भर्ती किए गए व्यक्तियों के लिए दो वर्ष

भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा
(11)	(12)
प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा, जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा।	प्रतिनियुक्ति/आमेलन भारतीय लेखापरीक्षक और लेखा विभाग के, जिसके न हो सकने पर उसी स्थान पर स्थित केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों के और दोनों के न हो सकने पर अन्य स्थानों पर स्थित केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों के ऐसे अधिकारियों में से :— (क) (i) जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या (ii) जो 4000–6000 रु. के वेतनमान वाले पद धारण किए हुए हैं और उस श्रेणी में पांच वर्ष नियमित सेवा की है, या (iii) जो 3050–4590 रु. के वेतनमान वाले पद धारण किए हुए हैं और उस श्रेणी में तेरह वर्ष नियमित सेवा की है; और (ख) जिनके पास स्तम्भ (8) में दी गई शैक्षिक अर्हताएं और अन्य अर्हताएं। (प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी)

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
(13)	(14)
समूह "ग" विभागीय प्रोन्नति समिति (पुष्टि के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे:— (i) ज्येष्ठ उप-महालेखाकार/उप-महालेखाकार या प्रशासन का भारसाधक समतुल्य पंक्ति का अधिकारी—अध्यक्ष (ii) एक अन्य ज्येष्ठ उप-महालेखाकार/उप-महालेखाकार या भारतीय लेखापरीक्षा और लेखा विभाग के किसी अन्य कार्यालय से समतुल्य पंक्ति का अधिकारी —सदस्य (iii) एक ज्येष्ठ लेखा अधिकारी/ज्येष्ठ लेखापरीक्षक अधिकारी/लेखा अधिकारी/लेखा परीक्षक अधिकारी —सदस्य	लागू नहीं होता

[फा. सं. ए-12018/5/95-ई जी]

बी० कुमार, उपसचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Expenditure)

New Delhi, the 10th August, 2000

G.S.R. 328.—In exercise of the powers conferred by clause (5) of article 148 of the Constitution and after consultation with the Comptroller and Auditor General of India, the President hereby makes the following rules to regulate the method of recruitment to the post of Junior Translator in the Indian Audit and Accounts Department, namely :—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Indian Audit and Accounts Department (Junior Translator) Recruitment Rules, 2000.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of posts, classification and scale of pay.—The number of said posts, their classification and scale of pay attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age limit and qualifications, etc.—The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (14) of the said Schedule.

4. Disqualification.—No person,—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post :

Provided that the Comptroller and Auditor General of India may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such a person and other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax.—Where the Comptroller and Auditor General of India is of the opinion that it is expedient or necessary so to do, he may, by order, and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, other backward classes, ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Government of India.

SCHEDULE

Name of Post	Number of Posts	Classification	Scale of Pay	Whether Selection post or non-selection post	Whether benefit of added years of service admissible under rule 30 of Central Civil Services (Pension) Rules, 1972	Age limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. Junior Translator	103* (2000) *Subject to variation depending on work-load.	General Central Service, Group 'C' Ministerial (Non-Gazetted).	Rs. 4500-125-7000.	Non-selection	Not applicable	30 years.

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of posts to be filled by various methods
(8)	(9)	(10)	(11)
Masters degree of a recognised University in English/Hindi with Hindi/English as compulsory and elective Subjects at degree level or Bachelors degree with Hindi and English as main subjects (which includes the term compulsory and elective).	Not applicable	Two years for direct recruits	By deputation/absorption failing which by direct recruitment.

In case of recruitment by promotion/deputation/absorption, grades from which promotion/deputation/absorption to be made	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitments
(12)	(13)	(14)
Deputation/Absorption :— From amongst officers of Indian Audit and Accounts Department failing which from Central Government offices at the same station and failing both from Central Government offices at other stations. (a) (i) holding analogous posts on a regular basis or (ii) posts in the pay scale of Rs. 4000-6000 with 5 years regular service in the grade or (iii) posts in the pay scale of Rs. 3050-4590 with 13 years regular service in the grade and (b) possessing educational and other qualifications as in column (8). (Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation/department of the Central Government shall ordinarily not to exceed three years. The maximum age limit for deputation shall be 56 years in the last date of receipt of application).	Group 'C' Departmental Promotion Committee (for confirmation) consisting of : (i) Senior Deputy Accountant General/Deputy Accountant General or officer of equivalent rank incharge of Admn. (ii) Another Senior Deputy Accountant General/Deputy Accountant General or officer of equivalent rank from any other office of Indian Audit and Accounts Department. (iii) A Senior Account Officer/Senior Audit Officer/Accounts Officer/Audit Officer.	Not applicable

[F. No. A-12018/5/95-EG.]

B. KUMAR, Dy. Secy.